उत्तराखण्ड सूचना आयोग
ई-मेल से प्राप्त
दिनांक 27/02/25
पत्रांक......
RO
27/2/25

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर धारा 4 के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का तृतीय पक्ष से ऑडिट कराये जाने के संबंध में आहूत बैठक दिनांक 21 फरवरी, 2025 का कार्यवृत्त–

बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरणः–

1– डा0 महेश कुमार,संयुक्त निदेशक,डॉ0 आर.एस.टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

2– श्री रजा अब्बास,सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून

3– निदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून(दूरभाष के माध्यम से)

सर्वप्रथम सचिव, सूचना आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) बी के तहत 17 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार किये जाने का प्राविधान होने के दृष्टिगत कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/6/2011–आई०आर० दिनांक 07.11.2019 के प्रस्तर 4.4 में तृतीय पक्ष से ऑडिट कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का अनुपालन लोक प्राधिकारियों के द्वारा पूर्ण रूप से न किये जाने के कारण पर मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2023 को पारित आदेश में कार्मिक विभाग, भारत सरकार के उक्त निर्देशों का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2 – उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/34/2013–आई०आर० (पार्ट) दिनांक 20.09.2022 के द्वारा ऑडिट कराने का कार्य केन्द्र या राज्य सरकारों के अधीन मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी भी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान को दिया जा सकता है, के भी निर्देश दिए गए हैं।

3– इस सम्बन्ध में सचिव महोदय के संज्ञान में यह भी लाया गया है कि शासन के पत्र संख्याः 781, दिनांक 16 मई 2024 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–04 के तहत विभागीय मैनुअलों का तृतीय पक्ष से ऑडिट कराये जाने हेतु डॉ.आर.एस.टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल को नामित किया गया है परन्तु नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक, डॉ0 आर.एस.टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा अवगत कराया गया है कि अकादमी में वर्ष–भर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं, तथा उपलब्ध स्टाफ, जो पूर्व में ही न्यूनतम है, पूर्णतः व्यस्त रहता है। ऐसी दशा में अकादमी स्तर से मात्र कुछ विभागीय मैनुवलों का ही तृतीय पक्ष ऑडिट किया जाना सम्भव हो पायगा। यह भी अवगत कराया गया है कि ए0टी0आई0 नैनीताल द्वारा लगभग सभी विभागों के लोक प्राधिकारियों को विभागीय मैनुअल तैयार किये जाना का प्रशिक्षण पूर्ण रूप से प्रदान किया जा चुका है।

4— चर्चा के क्रम में यह भी तथ्य संज्ञान में लाया गया कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा राज्यों के प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र को धारा 4 के तहत लोक प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने और राज्यों के सूचना आयोग को तृतीय पक्ष ऑडिट का कार्य कराये जाने हेतु प्रतिवर्ष अनुदान प्रदान किया जाता है।

5— उपर्युक्त के दृष्टिगत सचिव, सूचना आयोग एवं नोडल अधिकारी/संयुक्त निदेशक, डॉ0 आर.एस.टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होने के कारण कुमाऊ मण्डल के समस्त जनपदों के लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर धारा 4 के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का ऑडिट डॉ0 आर.एस. टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा तथा गढवाल मण्डल के समस्त जनपदों के लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर धारा 4 के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का ऑडिट पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून को नामित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

6— इस संबंध में सचिव महोदय द्वारा निदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून से विषय के सम्बन्ध में दूरभाष पर वार्ता की गयी तथा उनको प्रकरण के सम्बन्ध में सचिव,सूचना आयोग एवं संयुक्त निदेशक,ए.टी.आई द्वारा दिये गये प्रस्ताव से अवगत कराया गया है। इस सम्बन्ध में निदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून द्वारा गढवाल मण्डल के समस्त जनपदों के लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर धारा 4 के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का ऑडिट पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून द्वारा किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

7— उपर्युक्त के संबंध में सचिव महोदय द्वारा उक्त दोनों प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिये गये कि लोक प्राधिकारियों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर धारा 4 के तहत प्रदर्शित की गयी सूचनाओं और उनके मैनुअल का ऑडिट कराये जाने पर आने वाले व्यय का शीघ्र आंकलन कर सूचना आयोग के माध्यम से मांग प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाय ताकि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,भारत सरकार को मांग प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके।
(कार्यवाही— निदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून एवं संयुक्त निदेशक, डॉ0 आर.एस.टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल, तथा सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून)

अन्त में सभी प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 25-02-2025 15:44:53

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या : 345 / XXXI(15)G/2025, 49(सा0)/2020
देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पण्डित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धोवाला, देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक, डॉ0 आर.एस.टोलिया,उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
3. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. गार्ड फाइल।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव